

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक:सा0-5998 / मी0क्ष0 / 33 / दिनांक, मीरजापुर, मई 30, 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनमद्र के ओबरा वन प्रभाग में मे0 जय प्रकाश एसोसिएट्स द्वारा ग्राम-कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 हे0 आरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्दिरा पर्यावरण भवन, अग्नि विंग, पंचम तल, जोरबाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या 8-07/2019-एफसी, दिनांक-25.03.2019, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या भा0स0 39/ 14-2-2019 -800/ (162) / 2018 दिनांक-29.03.2019 तथा आपका पत्रांक-1876/ 11-सी- एफ0पी0 / यू0पी0 / आई0एन0डी0 / 23246 / 2016 दिनांक-01.04.2019.

महोदय,

विषयक प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा उल्लिखित तीन बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा ने अपने कार्यालय के पत्रांक-3381/ओबरा/15भू0हे0 दिनांक 08.05.2019 छायाप्रति संलग्न हैं। द्वारा उल्लिखित बिन्दु की आख्या टेबुलर प्रपत्र में निम्नप्रकार प्रेषित किया गया है:-

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1	The recommendations of the DFO, CF & Principal Secretary (Forests) have not been uploaded on the forest clearance web portal in respect of said project.	प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर के स्तर का रिकमण्डेशन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
1	2	3
2	The purpose wise breakup of the forest land proposed for diversion has not been given	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि का विवरण प्रेषित किया गया है, जिसकी चार प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
3	Out of total 115.874 Ha. area, as provided by the state Government for compensatory afforestation land, after analysis through DSS, It is found that the approximately 26 Ha. of CA land is falling in water bodies. Thus, an additional CA are of 26Ha. may be provided.	अतिरिक्त सी0ए0 के सम्बन्ध में भारत सरकार का पत्र संख्या- एफ0नं0 11-2143/2011 एफ0सी0 दिनांक -08.11.2017 द्वारा निम्नलिखित गाईड लाईन जारी किया गया है:- "The following amendment is made in 3.2(i) and explanation 2 is added as under - (i) The purpose of compensatory afforestation (CA) is to compensate the loss of 'land by land' and loss of 'trees by trees'.

		<p>(ii) For compensatory afforestation the number of plants to be planted over compensatory afforestation land shall be at least 1000 plants per hectare of forest land diverted.</p> <p>(iii) If the requisite number of plants @1000/ha can not be planted on the non-forest land identified for taking up CA, then the balance number of the plants will be planted in degraded forest land as per the provisions of working plans. The State Government will intimate to the MOEF&CC the names of the R.F./P.F. in which the balance seedling will be planted. The User Agency will deposit the cost of planting these seedlings.”</p> <p>उपरोक्त दिशा-निर्देश के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण हेतु 26हे0 क्षेत्र चयनित कर उपयुक्तता प्रमाण पत्र व जियोरिफरेन्सड मानचित्र तथा सर्वे आफ इण्डिया का टोपोशीट मय सी0डी0 सहित तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।</p>
--	--	--

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित बिन्दुवार आख्या तीन प्रतियों में मय सी0डी0 सहित एतदसह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रस्ताव पर प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17.03.2018 एवं तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 12.07.2018 के आलोक में नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय
 (रमेश चन्द्र झा) 38/5
 मुख्य वन संरक्षक,
 मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

मूल में नहीं

संख्या-

अ/समदिनांक

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा को उनके कार्यालय के पत्रांक-3381/ओबरा / 15भ0ह0 दिनांक 08.05.2019 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि ओबरा वन प्रभाग में चयनित 26.00 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण की प्राक्कलन भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 0.11.2017 के अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(रमेश चन्द्र झा)
 मुख्य वन संरक्षक,
 मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर